खिलाफत आन्दोलन (Khilafat Movement)

प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की जर्मनी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। युद्ध काल में भारतीय मुसलमानों से सहयोग लेने के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया था कि युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैण्ड तुर्की के विरुद्ध प्रतिशोध की नीति नहीं अपनायेगा और न ही तुर्की साम्राज्य को छिन्न-भिन्न होने देगा। लेकिन अंग्रेज अपने वायदे से मुकर गये। सीवर्स की संधि द्वारा तुर्की साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया, उसके (तुर्की) कुछ प्रदेशों को स्वतंत्र बना दिया और कुछ को ब्रिटेन तथा फ्रांस के अधीन कर दिया। सुल्तान एक कैदी मात्र रह गया। तुर्की का सुल्तान संसार के मुसलमानों का खलीफा था। उनकी दुर्दशा देख भारतीय मुसलमान तिलमिला उठे और अंग्रेजी राज के विरुद्ध गुस्सा उमड़ पड़ा।

मुसलमानों ने अंग्रेजों के नीति के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन चलाना शुरू किया। मुसलमानों की माँग थी कि 'तुर्की साम्राज्य को सलामत रखा जाए, तुर्की पर कठोर संधि शर्तें न लागू किया जाए एवं तुर्की के खलीफा (सुल्तान) के धार्मिक नेतृत्व को सदा कायम रखा जाए।

24 नवम्बर 1919 को गाँधीजी, जिन्होंने शुरू से ही अपने आपको खिलाफत आन्दोलन के साथ रखा था के सभापतित्व में एक अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग, मुल्ला तथा उलेमा ने भी सम्मेलन में भाग लिया। जिस प्रकार से सरकार भारत के मुसलमानों के प्रति अपने वचन को तोड़ रही थी, उसका गाँधीजी ने विरोध किया क्योंकि गाँधीजी ने इसे हिन्दु मुस्लिम एकता के मजबूतीकरण तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर समझा। गाँधीजी ने हिन्दुओं से मुसलमानों की संकट के समय में सहायता करने के लिए खिलाफत आन्दोलन में शामिल होने का आग्रह किया। महात्मा गाँधी की सम्मति पर डॉ॰ अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय से मिला। शिष्टमंडल का मुख्य उद्देश्य वायसराय को मुसलमानों के शुद्ध विचारों से अवगत कराना था, किन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला तो जनवरी 1920 में मौलाना मुहम्मद अली को अपने भाई शौकत अली के साथ अपने मामलों की पैरवी के लिए इंग्लैण्ड भेजा गया। वे भी वहाँ से खाली हाथ

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाषचन्द्र बोस थे। नवम्बर 1927 में पूर्व सोवियत संघ से लौटने के बाद जवाहर पंथी बन गए। 1927 में जेल से छूटने के बाद सुभाष ने नौजवानों और छात्रों को संगठित करने में सक्रिय भाग लिया। वह भी वामपंथी राष्ट्रवादी नेता बन गए। कांग्रेस के बढ़ते हुए वामपंथ के प्रभाव को रोकने के लिए भी कमीशन की समय से पूर्व नियुक्ति कर दी गई।

साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज :— 8 नवम्बर, 1927 को वायसराय लार्ड इरविन ने भारतीय नेताओं को साइमन कमीशन की नियुक्ति की सूचना दी और 8 नवम्बर 1927 को इसकी घोषणा सारे देश में की गई। घोषणा में कहा गया कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय शाही कमीशन भारत आने वाला है। कमीशन के अध्यक्ष के नाम पर इसे साइमन कमीशन कहा गया। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस कारण इसे सफेद कमीशन (White commission) का भी नाम दिया गया। इस कमीशन में ब्रिटिश संसद के सभी दलों के प्रतिनिधि थे। कमीशन में भारतीयों को इन कारणों से स्थान नहीं दिया गया क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी तथा भारत में अनेक वर्गों, सम्प्रदायों और धर्मों के अस्तित्व के कारण किसी न किसी वर्ग को असंतुष्ट कर ही किसी भारतीय को साइमन कमीशन का सदस्य बनाया जा सकता था। लेकिन ये दोनों तर्क बहाना थे क्योंकि उस समय भी दो भारतीय, लार्ड सिन्हा तथा श्री सकलातवाला भी ब्रिटिश संसद के सदस्य थे।

साइमन कमीशन के उद्देश्य :— साइमन कमीशन की नियुक्ति का उद्देश्य इस बात की जाँच करना था कि भारत की तत्कालीन शासन व्यवस्था किस तरह काम कर रही थी तथा इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करना था कि क्या भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना वांछनीय है और यदि हाँ तो किस सीमा तक अथवा इस समय भारत को जिस मात्रा में उत्तरदायी शासन प्राप्त है, उसे किस सीमा तक विस्तृत, संशोधित या प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। कमीशन को यह भी पता लगाना था कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा की वृद्धि और प्रतिनिधिक संस्थाओं का विकास कितना हुआ था। जाँच के बाद उसे यह भी बताना था कि प्रान्तीय विधानमंडलों में दूसरा सदन होना चाहिए या नहीं।

साइमन कमीशन का बहिष्कार :— साइमन कमीशन के उद्देश्य तथा उसकी सदस्यता से भारतीयों को बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने इसे अपमानजनक समझा। अतः एकमत से सभी ने कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय किया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा और लिबरल फेडरेशन ने एक स्वर से कमीशन का विरोध किया। किन्तु सर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक वर्ग ने कमीशन का स्वागत करने का निश्चय किया। साइमन कमीशन भारत में दो बार आया। पहली बार 3 फरवरी

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

मामले को सुप्रीम कोर्ट में फैसले के लिए सौंपने का अधिकार होगा।

(vii) **केन्द्रीय कार्यकारिणी** :- भारत की कार्यकारिणी शक्ति सम्राट के पास होगी और वह शक्ति गवर्नर जनरल द्वारा सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से प्रयोग की जाएगी परन्तु यह शक्ति कानूनों और संविधान के अनुसार ही प्रयुक्त होगी। गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी-परिषद होगी जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य छः मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा होगी और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद सब मामलों के लिए सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी।

(viii) **उच्चतम न्यायालय** :- भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करने और प्रिवी कौंसिल की सभी अपीलें बन्द करने का सुझाव दिया गया। उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करेगा और प्रान्तों में झगड़ों का निर्णय करेगा।

(ix) **प्रतिरक्षा** :- प्रधानमंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, प्रधान सेनापति, वायु सेना और जल सेना के सेनापति, जनरल-स्टाफ के अध्यक्ष तथा दो अन्य सैनिक विशेषज्ञों को मिलाकर एक प्रतिरक्षा समिति बनाई जाए। भारतीय सेनाओं के संबंध में सभी नियम और विनियम इस समिति की सिफारिशों के अनुसार बनाए जाएँ। प्रतिरक्षा सम्बन्धी सारे खर्च की स्वीकृति प्रतिनिधि सभा से लेनी पड़ेगी परन्तु भारत पर विदेशी आक्रमण होने या इसकी सम्भावना होने पर केन्द्रीय कार्यकारिणी को किसी भी धनराशि के खर्च का अधिकार होगा।

नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया :— डॉक्टर जकारिया के शब्दों में, यह एक उच्च कोटि की रिपोर्ट थी जिससे राजनीतिक बुद्धिमता का आभास मिलता है। इसका कारण यह था कि इस रिपोर्ट में पहली बार सब राजनीतिक तथा अन्य समस्याओं पर विचार किया गया और उनका हल तलाश करने का यत्न किया गया। पहली बार सब दलों ने इन कठिन समस्याओं के सुलझाने में अपना सहयोग दिया। इस रिपोर्ट में भारत के भावी संविधान की रूप रेखा निश्चित की गई। इस रिपोर्ट की अनेक बातें आधुनिक संविधान में अपना ली गई हैं, अतः यह रिपोर्ट वर्तमान संविधान का प्रारम्भिक क्रम है और यही इस रिपोर्ट की अधिक से अधिक प्रशंसा है।

यद्यपि यह रिपोर्ट अच्छी थी परन्तु तत्कालीन परिस्थिति में बहुत अधिक प्रगतिशील थी, अतः सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। जब यह रिपोर्ट विभिन्न दलों की अलग-अलग बैठकों के सामने आई, तो अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गईं। अनेक दलों ने इस पर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से विचार करना आरम्भ कर दिया [illegible] इस बात पर काफी मतभेद था। मौलाना अबुल कलाम

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

1928 ई० को भारत वर्ष में पहुँचा और 31 मार्च को वापस इंग्लैण्ड चला गया। इसके बाद उसी वर्ष 11 अक्टूबर को भारत में आया और 13 अप्रैल 1929 तक यहाँ रहा। दोनों बार भारत का भ्रमण किया, हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी हो गया। मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, लाहौर आदि सभी बड़े-बड़े नगरों में जहाँ भी कमीशन गया, भारतीय जनता ने उसका पूर्ण हड़तालों, जुलूसों, काली झंडियों और साइमन वापस जाओ के नारों से स्वागत करके अपने असंतोष का प्रदर्शन किया। जब कमीशन लाहौर पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका बहिष्कार किया। दुर्भाग्यवश एक गोरे पुलिस अधिकारी मि० साण्डर्स (Mr. Saunders) ने लालाजी की छाती पर लाठी का प्रहार किया। वृद्ध और बिमार लालाजी चोट को सहन न कर सका और कुछ ही दिनों के बाद स्वर्गवासी हो गये। कलकत्ता में सुभाषचन्द्र बोस ने इंकलाब जिन्दाबाद के नारे लगाये। कलकत्ता का कमीशन विरोधी प्रदर्शन बड़ा कामयाब रहा।

साइमन कमीशन की रिपोर्ट : प्रमुख सिफारिशे :- मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में भारतीयों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति प्रकट नहीं की गई थी और उसमें डोमीनियन स्टेटस की चर्चा तक नहीं थी। इसके विपरीत जातिगत तथा साम्प्रदायिक मतभेदों का विस्तार से वर्णन किया गया था जो निम्नलिखित है।

(i) **उत्तरदायी शासन की असफलता :-** साइमन रिपोर्ट के अनुसार भारत में संसदीय अथवा उत्तरदायी शासन का प्रयोग सफल नहीं रहा है।

(ii) **द्वैध शासन की समाप्ति तथा प्रान्तीय स्वशासन :-** 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित द्वैध शासन अनेक आंतरिक दोषों के कारण असफल रहा है, अतः द्वैध शासन का तुरन्त अन्त कर देना चाहिए और प्रान्तों में विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को शासन का भार सौंप दिया जाना चाहिए।

(iii) **संघ व्यवस्था की स्थापना :-** भारत के लिए एकात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त नहीं है और निकट भविष्य में भारत के लिए एक संघ व्यवस्था की स्थापना की जाए। इस संघ में ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत और स्वतंत्र देशी रियासतें शामिल होंगी।

(iv) **साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व :-** आयोग के अनुसार साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निन्दनीय है, किन्तु फिलहाल उसके सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है। आयोग इस परिणाम पर पहुँचा कि "हम इस विषय पर सर्वसम्मत हैं कि किसी भी प्रांत में मुसलमानों का साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व जारी रखना चाहिए। मुसलमान मतदाताओं को इस विशेष संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता।

(v) **वयस्क मताधिकार अव्यवहारिक :-** आयोग के अनुसार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात सोचना अव्यवहारिक है, किन्तु धीरे-धीरे मताधिकार और विधानमंडलों का विस्तार किया जाना चाहिए।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

वापस आये। युद्ध के बाद सेवरिस संधि के अनुसार, तुर्की साम्राज्य विभाजित कर दिया गया। सुल्तान वास्तविक रूप में मित्र राष्ट्रों का कैदी बना दिया गया। अतः स्पष्ट है कि युद्धकाल में मुसलमानों को दिये गये सभी वचन भंग कर दिये गये तथा तुर्की को साम्राज्यवादी शोषण का ग्रास बना दिया गया।

मुसलमानों की इस दुख से दुखी एवं निराश होकर महात्मा गाँधी ने उन्हें सरकार के विरुद्ध असहयोग/खिलाफत आन्दोलन प्रारंभ करने का परामर्श दिया। 28 मई 1920 को खिलाफत समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दो दिन बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने सरकार के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन चलाने पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाने का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस द्वारा असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

महात्मा गाँधी को असहयोगी बनने के कारण :- (i) युद्ध का परिणाम (ii) आर्थिक दुर्दशा (iii) महामारी (iv) अकाल (v) सरकार का दमन चक्र (vi) सेना में बाध्यतामूलक भर्ती (vii) छँटनी की नीति (viii) माण्ट-फोर्ड सुधार से असंतोष (ix) रॉलट एक्ट, (x) जालियाँवाला बाग हत्याकांड इत्यादि।

निष्कर्ष :- निष्कर्षतः खिलाफत आन्दोलन में महात्मा गाँधी का सहयोग मुसलमानों के प्रति एकजुटता, देश में समरसता तथा देश की प्रगति का द्योतक है। हिन्दू-मुस्लिम देश की दो आँखें अन्यायों के लिए प्रगति का सूचक है। अंग्रेजों की कुटिल नीति धाराशाही होकर बेसहारा बन गया और लँगड़ाते, गिरते-पड़ते अपने मूल वतन की ओर वापस हो गये।

(समाप्त)

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष - राजनीति वि०
डी०के० कॉलेज, डुमराँव
दिनांक - 14/08/20